झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरुवार, दिनांक- 03 चैत्र,1944(श०) / 24 मार्च, 2022 (ई०) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्र०सं०	विभागों को भेजी गई सां०सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"क"105.	अ०सू०-18	श्री मनीष जायसवाल	लक्ष्य पूर्ण करना।	खाद्य, सार्व० वि० एवं उ० मामले	24.02.22
212.	अ०सू०-15	डॉ० लम्बोदर महतो	कर्मियों का स्थायीकरण।	ऊर्जा	24.02.22
213.	अ०सू०-44	श्री सरयू राय	भंडारण क्षमता बढ़ाना।	कृषि०पशु० एवं सह०	19.03.22
214.	अ०सू०-41	श्री राजेश कच्छप	विक्रय केन्द्र का स्थापना कराना।	कृषि०पशु० एवं सह०	08.03.22
215.	अ०सू०-43	श्री डुलू महतो	बिजली उत्पादन कराना।	ऊर्जा	08.03.22
216.	अ०सू०-12	श्री भानु प्रताप शाही	अनुशंसा लेना।	अनु०जा० अनु०ज०जा० अप०सं० एवं पि०व०कल्या०	24.02.22
217.	अ०सू०-46	श्री सरयू राय	तट को सुदृढ़ कराना।	जल संसाधन	19.03.22
218.	अ०सू०-42	श्री डुलू महतो	गठन कराना।	कृषि०पशु० एवं सह०	08.03.22
219.	अ०सू०-26	श्री बिरंची नारायण	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खाद्य, सार्व० वि० एवं उ० मामले	02.03.22

01	02	03	04	05	06
220.	अ0सू0-39	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स्थायी रूप से नियुक्त कराना।	खाद्य, सर्वा0 वि0एवं उ0 मामले	04.03.22
221.	अ0सू0-21	श्री विनोद कुमार सिंह	पेंशन भुगतान कराना।	महिला बा0 वि0एवं सा0सुरक्षा	25.02.22
222.	अ0सू0-28	श्री बंधु तिर्की	छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना।	अनु0जा0 अनु0ज0जा0 अल्प0एवं पि0व0कल्या0	02.03.22
223.	अ0सू0-45	श्री सुदेश कुमार महतो	पर्चा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	19.03.22

नोट :- "क" 105 अ0सू0-18, दिनांक- 10.03.2022 को सदन से स्थगित।

रॉंची
दिनांक- 24 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या- झा0वि0स0-(प्रश्न)-05/2020.....1438...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 22/03/22

प्रति :-झारखण्ड विधान-सभाके माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

22/03/22

(कुन्दन कुमार सिंह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या- झा0वि0स0-(प्रश्न)-05/2020.....1439...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 22/03/22

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22/03/22

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या- झा0वि0स0-(प्रश्न)-05/2020.....1438...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 22/03/22

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा/ वेबसाईट शाखा, को० सूचनार्थ प्रेषित।

22/03/22

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

Niranjan

22.03.22

उत्तर मुद्रित

लक्ष्य पूर्ण करना ।

"क" 105. श्री मनीष जायसवाल--क्या मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष-2021-22 में राज्य में अबतक धान खरीद हेतु 2. 24 लाख किसानों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया गया है तथा अबतक लगभग 19 हजार निबंधित किसानों से सरकार द्वारा धान क्रय की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार द्वारा निबंधित किसानों से धान क्रय का लक्ष्य 80 लाख क्विंटल निर्धारित की जाने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक मात्र 10 लाख क्विंटल धान ही क्रय की गई है, जो सरकार द्वारा निर्धारित कुल लक्ष्य का लगभग 12 प्रतिशत है;

(3) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में निबंधित कुल 28,296 किसानों में अबतक मात्र 09 हजार किसानों से धान क्रय की गई तथा जिन किसानों से धान क्रय की गई उनका भुगतान अबतक लम्बित है जबकि सरकार द्वारा उक्त मद में 15 सौ करोड़ रुपये राशि का प्रावधान की गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के किसानों से क्रय की गई राशि का भुगतान करते हुए हजारीबाग सहित राज्य के अन्य जिलों में धान क्रय की शेष लंबित लक्ष्य की प्राप्ति चालू वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) धान अधिप्राप्ति हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर 2,55,543 (दो लाख पचपन हजार पाँच सौ तैतालीस) किसान निबंधित है । दिनांक 7 मार्च, 2022 तक 87,513 (सतासी हजार पाँच सौ तेरह) किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई है ।

(2) खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 80 लाख क्विंटल निर्धारित है । उक्त लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 7 मार्च 2022 तक 45,10,719.92 (पैतालीस लाख दस हजार सात सौ उनीस दशमलव नौ दो) क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 56.38 प्रतिशत है ।

(3) हजारीबाग जिलान्तर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर 35, 850 (पैंतीस हजार आठ सौ पचास) किसान निबंधित है, जिनमें से 18,780 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई है ।

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में हजारीबाग जिला हेतु 14 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध दिनांक 7 मार्च, 2022 तक 8,20,259.15 (आठ लाख बीस हजार दो सौ उनसठ दशमलव एक पाँच) क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई है, जो लक्ष्य का 58.59 प्रतिशत है, जिसके प्रथम किस्त के भुगतान हेतु राशि 79.56 करोड़ के विरूद्ध रुपये 76.60 करोड़ निगम कार्यालय हजारीबाग को उपलब्ध करायी गयी है एवं दिनांक 7 मार्च, 2022 तक रुपये 72.51 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ।

(4) पूरे राज्य में दिनांक 7 मार्च, 2022 तक 45,10,719.92 (पैतालीस लाख दस हजार सात सौ उनीस दशमलव नौ दो) क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई है, जिसका प्रथम किस्त के भुगतान हेतु कुल रुपये 437.53 करोड़ की आवश्यकता है । इसके विरूद्ध जिलों को कुल रुपये 460.90 करोड़ उपलब्ध करायी जा चुकी है । जिलों द्वारा रुपये 373.96 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है । भुगतान में शीघ्रता लाने हेतु सभी जिला प्रबंधक को निदेश दिया गया है ।

नोट:-"क" 105 दिनांक 10 मार्च, 2022 को सदन से स्थगित ।

212

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत टी०टी०पी०एस०, ललपनिया में कार्यरत निविदा कर्मियों को जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है उन्हें बिना मजदूरी/पेंशन/उपदान आदि का भुगतान किए नियम विरुद्ध तरीके से जबरन काम से हटाया जा रहा है, जबकि श्रमिकों की सेवानिवृति का कोई उम्र निर्धारित नही है।	टी०टी०पी०एस०, ललपनिया में कार्यरत संवेदकों को निर्गत कार्यादेश के कण्डिका–14 के तहत Labour Law का पालन करना अनिवार्य है। ई०पी०एफ० एक्ट, ई०एस०आई०सी० एक्ट तथा Industrial Employment Standing Order Rule-1946 तथा झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार अधिकतम 60 वर्ष से अधिक के श्रमिकों से कार्य नहीं कराया जा सकता है। इस संबंध में विभागाध्यक्ष (मा०सं०) तै०वि०नि०लि०, राँची का ज्ञापांक–571/17–18 दिनांक 19.07.2017, उप–कार्मिक निदेशक, टी०टी०पी०एस०, ललपनिया के पत्रांक–359, दिनांक 17.12.2018, विद्युत अधीक्षण अभियंता (मा०सं०) का पत्रांक 328 दिनांक 27.02.2020 एवं पत्रांक–341 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही वरीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा प्राप्त विधि–परामर्श में भी इस संदर्भ में पुष्टि की गई है। वर्तमान में निम्नलिखित ठेका श्रमिकों को उम्र 60 वर्ष से अधिक आयु होने के उपरान्त कार्य से मुक्त किया गया। ठेका श्रमिकों का ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई०सी० में कटौती दर तथा उपादान का प्रावधान निम्न प्रकार है:– 1. ई०पी०एफ०–ठेका श्रमिक का पारिश्रमिक (मूल वेतन + परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत तथा नियोक्ता का 13.61 प्रतिशत अंशदान। 2. ई०एस०आई०सी०–ठेका श्रमिक का पारिश्रमिक (मूल वेतन + परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता) का 3.25 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान तथा 0.75 प्रतिशत ठेका श्रमिक का अंशदान। 3. उपादान का प्रावधान, श्रम अधीक्षक, बोकारो का पत्रांक–228 दिनांक 11.08.2021 के द्वारा स्पष्ट किया गया है एवं यह एक नियमित प्रक्रिया है। संबंधित संवेदक एवं परियोजना के संबंधित विभाग द्वारा उपादान की गणना, वैध उत्तराधिकारी, मृत्यु प्रमाण–पत्र, सदस्या प्रमाण–पत्र इत्यादि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते हीं, उपादान का नियमानुसार भुगतान संवेदक के द्वारा कर दिया जाएगा।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लगातार 25 वर्षों से काम करनेवाले कर्मियों को स्थायी करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	परियोजना में निविदा के आधार पर ठेका श्रमिकों को एक या दो वर्ष के लिए रखा जाता है एवं आवश्यकतानुसार इनका कार्य का विस्तार अगले एक या दो वर्षों के लिए जाता है। इस परिस्थिति में ठेका श्रमिकों को स्थायी नहीं किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 452 / दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० अल्पसू०-44 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री सरयू राय,मा०स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अनाज उत्पादन एवं सब्जी, दूध, अंडा, मत्स्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्म निर्भर हो चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2020-21 में आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता के अंतिम पूर्वानुमान प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन 7257433 टन हुआ है। 480 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से झारखण्ड की जनसंख्या अनुमानतः 32900000 के अनुसार कुल खाद्यान्न की आवश्यकता 5764080 टन है। इस प्रकार उत्पादन के आधार पर झारखण्ड आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। वर्ष 2020-21 में सब्जी उत्पादन 3784.74 हजार मैट्रिक टन हुआ है। सब्जी की आवश्यकता 2936.80 हजार मैट्रिक टन है। इस प्रकार झारखण्ड सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। झारखण्ड राज्य दूध एवं अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। वर्ष 2020-21 में अंडा उत्पादन 7784.52 लाख है। राज्य में वर्ष 2018-19 में कुल दूध उत्पादन 21.83 लाख मैट्रिक टन हुआ है। यद्यपि वर्ष 2021-22 में 29.13 लाख मैट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर सभी विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जबकि राज्य में दूध की कुल माँग 36.02 लाख मैट्रिक टन है। राज्य में दूध उत्पादन एवं दूध की माँग के बीच के अन्तर को पाटने के लिए राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित की जा रही है ताकि राज्य को दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि उत्पादन बाजार समितियों तथा सहकारिता एवं अन्य सार्वजनिक बाजार संस्थाओं का ढाँचा मृत प्राय हो जाने के कारण किसानों को खुले बाजार में अपने उत्पादों का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है और राज्य के उपभोक्ताओं को राज्य के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पाद सस्ते में सुलभ नहीं हो रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में ई-नाम से संबद्ध 19 बाजार समितियों के माध्यम से किसानों को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज के क्रय-विक्रय हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, में आधारभूत संरचना जैसे Weigh Bridge, Cleaning, Grading, Packaging Unit का निर्माण कराया जायेगा जिससे बाजार समितियों का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा। साथ ही बाजार समितियों की आय के स्रोत में वृद्धि होने पर भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त गोदाम के निर्माण विचाराधीन है। झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2022 प्रक्रियाधीन है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर राज्य के किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा आय में वृद्धि हेतु आधुनिक विपणन व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाईन विपणन व्यवस्था के साथ निजी भागीदारी तथा परम्परागत बाजार व्यवस्था के अलावा किसानों को बाजार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था झारखण्ड कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध का समुचित मूल्य दूध उत्पादकों को दिलाने हेतु कम्प्यूटराईज्ड दूध संग्रहण प्रणाली की स्थापना की गई है। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल ग्रामीण दूध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दूध के लिए फेडरेशन द्वारा भुगतान की गयी राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा एक (1) रुपया प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन/समर्थन मूल्य का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 से किया जा रहा है। राज्य में कुल 17 जिलों के 2507 गाँवों के 21468 दूध उत्पादक सहकारी दूध संग्रहण व्यवस्था से जुड़कर झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को दूध आपूर्ति कर रहे है तथा दूध का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। दूध मूल्य के रूप में प्रतिमाह 11.63 करोड़ रुपये उनके निजी बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में दूध उत्पादकों को दूध का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सहकारी दूध समितियों से उन्हें जोड़ने हेतु निरंतर अग्रेतर प्रक्रिया जारी है। राज्य में सहकारिता प्रक्षेत्र में शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा यथा- वेजफेड के माध्यम से विक्रय आउटलेट के द्वारा फल-सब्जियों की बिक्री के साथ-साथ सहकारी समितियों के माध्यम से दूसरे राज्य के बाजारों में भी भेजा जा रहा है। झामकोफेड एवं झास्कोलैम्पफ द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इमली, महुआ, लाह आदि की खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के पास अपने कृषि उत्पादन के अनुरूप पर्याप्त भंडार क्षमता नहीं	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के कृषि उत्पादन बाजार समितियों में भंडारण हेतु लगभग 360 गोदाम है जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 400000 मे० टन है।

	होने के कारण कृषि उत्पादन का समुचित लाभ किसानों तक नहीं पहुँच रहा है।	सहकारिता प्रभाग अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से भंडारण क्षमता सृजन हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं:- गोदाम निर्माण- • वर्तमान में 1324 लैम्पस/पैक्स/व्यापारमंडल में भंडारण क्षमता लगभग 1.45 लाख एम०टी० उपलब्ध है। • आई०सी०डी०पी०, कोषांग, राँची द्वारा लैम्पस/पैक्स के स्तर पर 100 एम०टी० क्षमता का 457 कार्यालय सह-गोदाम निर्माण कार्य किया जा रहा है। • वित्तीय वर्ष 2022-23 में एन०सी०डी०सी० के ऋण द्वारा सम्पोषित 100 एम०टी० क्षमता के 200 गोदाम निर्माण प्रस्तावित है। • वित्तीय वर्ष 2022-23 में एन०सी०डी०सी० के ऋण द्वारा सम्पोषित प्रखण्ड स्तरीय 500 एम०टी० क्षमता के 24 गोदाम का निर्माण प्रस्तावित है। कोल्ड स्टोरेज- • राज्य के 24 जिलों में 5000 एम०टी० क्षमता के कुल 25 मॉडल शीत गृह निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से चतरा एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष प्रक्रियाधीन है। • बेड़ो, राँची में 2000 एम०टी० क्षमता के शीत गृह का संचालन किया जा रहा है। कोल्ड रूम/मिनी कोल्ड रूम- • राज्य में प्रखण्ड स्तरीय 30 एम०टी० क्षमता के 139 कोल्ड रूम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 47 कोल्ड रूम का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष प्रक्रियाधीन है। • वित्तीय वर्ष 2022-23 में एन०सी०डी०सी० के ऋण द्वारा सम्पोषित 30एम०टी० क्षमता के प्रखण्ड स्तरीय 45 कोल्ड रूम का निर्माण प्रस्तावित है। • वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यकारी एजेंसी आई०सी०डी०पी०, कोषांग, राँची के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा चालित 5 एम०टी० क्षमता के 57 इको फ्रेंडली मिनी कोल्ड रूम का निर्माण किया जा रहा है। • वित्तीय वर्ष 2022-23 में सौर ऊर्जा चालित 5 एम०टी० क्षमता के 59 इको फ्रेंडली मिनी कोल्ड रूम का निर्माण प्रस्तावित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन की संख्या बताने सहित बाजार समितियों की हालत सुधारने एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु कौन सी कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	कंडिका-1, 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-9/कृ०वि०स०(अ०सू०)-01/2022 626 /कृ०, राँची, दिनांक- 23/03/2022

प्रतिलिपि- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-1389 दिनांक-19.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/कृ०वि०स०(अ०सू०)-01/2022 626 /कृ०, राँची, दिनांक- 23/03/2022

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(214)

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-41 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को कृषि उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है;	राज्य के 19 बाजार समितियों द्वारा ई-नाम के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से क्रय-विक्रय हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि कृषि उपजों के लिये ग्राम स्तर पर सरकारी विक्रय केन्द्र की व्यवस्था नहीं है;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सरकारी स्तर पर फसल क्रय/विक्रय केन्द्र की स्थापना ग्राम स्तर पर किये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	फसल क्रय/विक्रय केन्द्र की स्थापना ग्राम स्तर पर किये जाने संबंधी प्रस्ताव विभाग में सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-25/2022 615 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-1111 दिनांक- 08.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-25/2022 615 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

215

श्री डुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-43 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री डुलू महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पनबिजली की कई इकाईयाँ झारखण्ड पनबिजली निगम के गठन नहीं होने के कारण कार्य नहीं कर रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि चाण्डिल और तेनुघाट पनबिजली परियोजनाओं को बिहार सरकार ने झारखण्ड को हस्तांतरित करने संबंधी निर्णय की जानकारी दी है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के चाण्डिल और तेनुघाट पनबिजली परियोजनाओं सहित कुल 08 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद, झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक-28.09.2021 को स्वीकृति दी गई है। तदनुसार दिनांक-22.02.2022 को झारखण्ड सरकार के असाधारण अंक में गजट अधिसूचना संख्याः 81 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के हित में पनबिजली निगम का गठन करते हुए तैयार ईकाईयों से बिजली उत्पादन आरम्भ कराना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। झारखण्ड में अधिकतम 25 मेगावाट क्षमता तक के पनबिजली ईकाईयों के विकास के लिए झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (जेडा) को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। बिहार सरकार से झारखण्ड को हस्तांतरित किये गये 08 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के वर्तमान में Asset Valuation, Cost-benefit and Techno Commercial feasibility analysis की प्रक्रिया की जा रही है। तदुपरान्त लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 555 / दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

C:\Users\Admin\Downloads\Answer (6).docx 34

श्री भानु प्रताप शाही, मा0स0वि0स0 से प्राप्त दिनांक–24.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 12 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्राथमिकता पर चयन हेतु सभी माननीय विधायक/स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशंसा ली जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के चयन में– 1. जिलों से अधियाचना प्राप्त होती है। 2. माननीय विधायकों/स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अनुशंसा प्राप्त होती है।
2	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग सरना, मसना, हड़गड़ी, धुमकुड़िया भवन, तालाब एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पी0सी0सी0 पथ निर्माण हेतु बिना स्थानीय जनप्रतिनिधि के अनुशंसा लिये राज्य स्तर पर ही योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाएँ यथा सरना, मसना, हड़गड़ी, धुमकुड़िया भवन, तालाब एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पी0सी0सी0 पथ निर्माण हेतु जिलों से अधियाचना प्राप्त होती है तथा माननीय जनप्रतिनिधियों सांसद/विधायक से अनुशंसा प्राप्त होती है। माननीय जनप्रतिनिधि की अनुशंसा एवं जिलों से प्राप्त अधियाचना पर उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विभागीय स्वीकृति के उपरांत एक करोड़ से उपर के प्राक्कलन पर विभाग द्वारा तथा एक करोड़ के अन्तर्गत प्राक्कलन पर जिला के उपायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि बिना जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा लिये बगैर योजनाओं का चयन सही रूप में नहीं हो पाता है, साथ ही ऐसे में बिचौलियों की सहभागिता बनी रहती है;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं को भी विधान–सभा क्षेत्र के अनुसार राशि का आवंटन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर माननीय विधायकों से अनुशंसा लेने पर विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– 10/ वि0स0प्र0–08/2022 - 878 राँची/दिनांक– 22/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–262, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

e:\kailash sir\vidhan sabha\bhanu pratap sahi.docx

217

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्वर्णरेखा नदी में जमशेदपुर के पास वर्ष 2008 में जितनी मात्रा में जल प्रवाह से जलस्तर जितना ऊँचा उठता था उतना ऊँचा जलस्तर अब 2008 के जल प्रवाह से आधी मात्रा के जल प्रवाह से ही उठ जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके कारण मानगो पूल के नीचे स्वर्णरेखा नदी के दाहिने तट की ओर से तेजी से कटाव हो रहा है जिसके कारण बारीडीह के निकट स्वर्णरेखा किनारे स्थापित मोहरदा पेयजलापूर्ति परियोजना पर संकट उत्पन्न हो गया है, जिसे रोकने के लिए स्वर्णरेखा नदी तट का सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि बरसात के दिन में अचानक आनेवाली बाढ़ का पानी स्वर्णरेखा के दोनों तटों के निचले मुहल्लों में उतर जाता है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मोहरदा पेयजलापूर्ति परियोजना के समीपवर्ती तट को सुदृढ़ करने तथा मुहल्लों में पानी जाने से रोकने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नही तो क्यों ?	कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है। तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee) की अगली बैठक में विचार हेतु रखा जायेगा। तकनीकी सलाहकार समिति की सुझाव/ अनुशंसा के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 06/ज०स०वि०–10–अ० सू०–04/2022 –1724 /राँची, दिनांक 23/03/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1391 वि०स० दिनांक 19.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना चाण्डिल/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

218

श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-42 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता-श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने चेम्बर ऑफ फार्मस के गठन की व्यवस्था की थी, जिससे कि कृषकों के समूह विकसित एवं राज्य में लघु कृषि उद्योग का विकास तथा कृषकों को अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त होने के साथ-साथ छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां की स्थापना होगी;	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में चेम्बर ऑफ फार्मर के गठन की व्यवस्था की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि चेम्बर ऑफ फार्मस के गठन के प्रस्ताव पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त होने के बाद भी इसकी स्वीकृति नहीं हुई है;	चेम्बर ऑफ फार्मस के गठन को दृष्टिपथ रखते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सहकारिता प्रभाग के द्वारा "चैम्बर ऑफ फॉरमर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि० की उपविधियाँ" का प्रारूप तैयार किया गया है। "चेम्बर ऑफ फॉरमर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि० की उपविधियाँ" पर विभागीय सहमति के उपरांत विधि एवं न्याय विभाग के द्वारा विधिक्षा की गई है। चेम्बर ऑफ फार्मस के गठन के संदर्भ में राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख प्रारूप एवं "चैम्बर ऑफ फॉरमर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि० की उपविधियाँ" पर सहमति हेतु वित्त विभाग को भेजी गई है। वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में पुनः "चैम्बर ऑफ फॉरमर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि० की उपविधियाँ" में आवश्यक बिन्दुओं का समावेश कर वित्त विभाग की सहमति हेतु संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित है। वित्त विभागीय सहमति के उपरांत राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत इस प्रसंग में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में चेम्बर ऑफ फार्मस के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग प्रत्येक जिला में चेम्बर ऑफ फार्मर्स के गठन हेतु कृत संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-24/2022 614 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-1110 दिनांक-08.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-24/2022 614 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(219)

दिनांक 24.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिरंची नारायण
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत) और 25 रूपया पेट्रोल सब्सिडी योजना, इत्यादि प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बन गया है और वर्तमान में बोकारो समेत राज्यभर में 59,07,295 लाभुकों को राशि का वितरण किया जा रहा है;	राज्य में जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को चार प्रकार का राशनकार्ड उपलब्ध कराया गया है। इनमें से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित AAY लाभुक परिवारों को पीला राशनकार्ड एवं PHH लाभुक परिवारों को गुलाबी राशनकार्ड तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुकों को हरा राशनकार्ड उपलब्ध कराया गया है। वैसे लाभुक जो न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और न ही झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित हैं, उन्हें सफेद राशनकार्ड उपलब्ध कराया गया है। पीला एवं गुलाबी राशनकार्डधारी लाभुक परिवारों को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ), नमक, किरासन तेल एवं धोती/ लुंगी एवं साड़ी उपलब्ध कराया जाता है। इन सामग्रियों के अतिरिक्त पीला राशनकार्डधारी परिवार को चीनी भी उपलब्ध कराया जाता है। हरा राशनकार्डधारी को खाद्यान्न (चावल), किरासन तेल एवं धोती/ लुंगी एवं साड़ी उपलब्ध कराया जाता है। सफेद राशनकार्डधारी को सिर्फ किरासन तेल उपलब्ध कराया जाता है। राज्य योजनान्तर्गत इसके अतिरिक्त राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 (NFSA) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित राशनकार्डधारी परिवारों (पीला, गुलाबी एवं हरा राशनकार्ड) जिनके पास On Road दोपहिया वाहन है, को प्रति माह रूपये 250/– (दो सौ पचास रूपये मात्र) पेट्रोल सब्सिडी की राशि दी जा रही है।
(2) क्या यह बात सही है कि वैसे अयोग्य परिवार जो राशन कार्ड से अनुचित लाभ उठा रहे है, उनके खिलाफ कार्रवाई सहित राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का नियम है और झारखण्ड में करीब 2.5 लाख अयोग्य लोगों के पास राशन कार्ड है और अकेले राँची में करीब 1 लाख लोग अयोग्य के दायरे में है एवं विभाग ने 30 नवम्बर, 2021 तक अयोग्य लाभुकों का राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया था, लेकिन अब तक सभी अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है;	विभागीय अधिसूचना संख्या–160, दिनांक 20.01.2021 में राशनकार्ड के रद्दीकरण हेतु प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार राशनकार्डधारी अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आ जाने की स्थिति, छः माह से अधिक अवधि में किसी भी प्रकार की सामग्री का उठाव नहीं किये जाने की स्थिति, स्वतः सरेण्डर करने की स्थिति, इत्यादि में जाँचोपरांत राशनकार्ड रद्द किया जायेगा। विभाग द्वारा वैसे परिवार जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हैं, को डिलिट करने एवं उक्त राशनकार्डधारी को अपना राशनकार्ड सरेण्डर करने हेतु प्रेरित करने की दिशा में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह 01 अप्रैल 2021 से अब तक 67,178 (सड़सठ हजार एक सौ अठहत्तर) राशनकार्ड को निरस्त किये गये हैं जिसमें 2,01,936 (दो लाख एक हजार नौ सौ छत्तीस) सदस्य समाहित हैं। उक्त में से लाभुकों द्वारा सरेण्डर किये गये राशनकार्डों की कुल संख्या 17,055 (सतरह हजार पचपन) है जिसमें 55,884 (पचपन हजार आठ सौ चौरासी) सदस्य समाहित हैं। उक्त अवधि में राँची जिलान्तर्गत कुल 4,767 (चार हजार सात सौ सड़सठ) राशनकार्ड निरस्त किया गया जिसमें 10,859 (दस हजार आठ सौ उनसठ) सदस्य समाहित हैं। उक्त में से राँची जिलान्तर्गत लाभुकों को द्वारा सरेण्डर किये गये राशनकार्डों की कुल संख्या 1,109 (एक हजार एक सौ नौ) है जिसमें 2,933 (दो हजार नौ सौ तैंतीस) सदस्य समाहित हैं।

(ञ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अयोग्य लाभुकों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनके दिए गए राशन की वसूली करवाते हुए उक्त अयोग्य लाभुकों को गलत तरीके से राशन कार्ड निर्गत करने और वर्तमान में भी नियमानुसार कार्रवाई न करने हेतु दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यदि कोई लाभुक निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है तो जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2019 के कंडिका–7 (ii) एवं 7 (iii) में सर्वप्रथम उसके राशनकार्ड को निरस्त करने एवं उसके द्वारा ऑनलाईन राशन का उठाव किया गया है तो निम्नांकित कार्रवाई करने का प्रावधान है :– (क) आपराधिक कार्यवाही, (ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू–राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली। (ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन। (घ) अगर उठाव ऑफलाइन किया जाता है तो उसका पक्ष सुना जायेगा एवं 15 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर अगर दोषी पाए जाते है तो उपर्युक्त कंडिका के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। अयोग्य राशनकार्डधारी द्वारा राशन उठाव करने का मामला संज्ञान में आने पर जिलों द्वारा उपर्युक्त कंडिका के तहत कार्रवाई की जाती है। "आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 2,581 कार्ड सरेण्डर कराया गया है।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–23/2022 842 /राँची, दिनांक 28/03/22

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 607 दिनांक 02.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

(220)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
दिनांक 24.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–39 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उरॉव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि विधिक माप विज्ञान के नियंत्रक के पद पर किसी पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है एवं यह पद पिछले कई वर्षों से अतिरिक्त प्रभार के रूप में चल रहा है;	नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पद पर किसी पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान का पद संवर्गीय प्रोन्नति का पद है। प्रोन्नति पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा रोक रहने के फलस्वरूप संवर्गीय प्रोन्नति का लाभ सहायक नियंत्रक संवर्ग के राजपत्रित पदाधिकारियों को नहीं मिल पा रहा है। पिछले लगभग 11 (ग्यारह) वर्षों से नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, झारखण्ड अतिरिक्त प्रभार के रूप में चल रहा है।
(2) क्या यह बात सही है कि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के कार्यालय नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, द्वितीय मानक प्रयोगशाला के पदों पर पिछले कई वर्षों से संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, श्री कृष्ण चन्द्र चौधरी अतिरिक्त प्रभार के रूप में हैं;	श्री कृष्ण चन्द्र चौधरी, झारखण्ड विधिक माप विज्ञान सेवा में वरीयता सूची के अनुसार वरीयतम हैं। श्री चौधरी का पदस्थापन अपने वेतनमान में संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची के पद पर हुआ है तथा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार है एवं सहायक नियंत्रक, द्वितीय मानक प्रयोगशाला, राँची का भी अतिरिक्त प्रभार है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माप–तौल एवं विपणन सेवा के अन्य पदाधिकारियों को वर्णित सभी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	सहायक नियंत्रक के रिक्त 03 (तीन) पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा चयन कर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सहायक नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन संबंधी अधिसूचना दिनांक 16.03.2022 को निर्गत की गई है तथा सभी पदाधिकारी दिनांक 21.03.2022 को प्रभार ग्रहण कर कार्यरत हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रोन्नति पर रोक हटाने के पश्चात् सहायक नियंत्रक संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।
/राँची, दिनांक 22/03/22

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–28/2022 841
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–941, दिनांक 04.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/22
सरकार के अवर सचिव।

221

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.03.2022 को पूछे जाने वाले
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में गत 05 (पाँच) माह से वृद्धावस्था पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा पेंशन के लाभुकों को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 5 (पाँच) माह से पेंशन नहीं मिलने से वृद्ध नागरिक एवं विधवा महिलाओं की आर्थिक परेशानी में वृद्धि हुई है ;	केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनान्तर्गत सभी पेंशन योजनाओं में माह जनवरी, 2022 तक पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। मात्र गोड्डा जिला द्वारा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में माह दिसम्बर, 2021 तक भुगतान किया गया है। राज्य योजनान्तर्गत सभी जिलों द्वारा फरवरी, 2022 एवं मार्च, 2022 के लिए भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। (भुगतान विवरणी संलग्न)
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार तत्काल पेंशन भुगतान का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा कंडिका–2 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/मा०स०/विधान सभा– 95/2022 – 689 राँची, दिनांक : 23/03/2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–604/वि०स० दिनांक–25.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.22
(अरशद जमील)
सरकार के अवर सचिव।

(222)

श्री बन्धु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–28 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात् उद्योगों में कामगारों की आपूर्ति एवं राज्य के आदिम जनजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के छात्रों को रोजगार उन्मुख कौशल विकास हेतु युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक, BIT मेसरा में स्थापित किया गया, जहाँ सरकार के कल्याण विभाग द्वारा इन समुदायों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है;	आंशिक स्वीकारात्मक वर्ष 2001 में उद्योगों में कामगारों की आपूर्ति एवं राज्य के आदिम जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रों को रोजगार उन्मुख कौशल विकास हेतु BIT मेसरा एवं कल्याण विभाग के बीच एकरारनामा (MoU) के द्वारा युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक, BIT मेसरा की स्थापना की गयी थी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आदिम जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। MoU में "The first party shall reduce the tuition fees pro-rata in a manner that it is equivalent to waiver of tuition fees for 10% of students" का उल्लेख है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक विभाग द्वारा युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक, BIT मेसरा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के कुल 1261 छात्र/छात्राओं को कुल 301.94 लाख रूपये छात्रवृत्ति भुगतान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक BIT मेसरा में सरकार के समझौते के विरूद्ध आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रों से भी सामान्य वर्ग के छात्रों की भांति फीस एवं खर्चों की उगाही की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक BIT मेसरा एवं कल्याण विभाग के बीच एकरारनामा (MoU) के आलोक में AICTE मापदण्ड के अनुरूप सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं से फीस लिया जाता है। विभागीय नियमों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2001 में युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक, BIT मेसरा को 415.00 लाख रूपये आधारभूत संरचना के लिए दिया गया था। 311.78 लाख रूपये युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक BIT मेसरा को दिया गया। दिनांक–29.06.2018 को सम्पन्न Executive Committee की बैठक में शैक्षणिक शुल्क एवं अन्य आवर्ती व्यय (Recurring Expendituire) के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय नियमों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को केवल विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति ही प्रदान की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक, BIT मेसरा में सरकार के समझौते के अनुरूप आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

<u>अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।</u>

ज्ञापांक–03/वि०स०(अल्प–सूचित)–07/2022 – 908 दिनांक– 23/03/2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–810, दिनांक–02.03.2022 के आलोक में दो सौ प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/3/2022
(स्मृता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

223

श्री सुदेश कुमार महतो , माननीय स०वि०से० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिले में चांडिल डैम का निर्माण हुआ है जिससे सरायकेला– खरसावाँ, पूर्वी सिंहभूम एवं प०सिंहभूम जिले के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चांडिल डैम से सरायकेला– खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम के निर्माण होने से हजारों परिवार विस्थापित हुए है ;	स्वीकारात्मक। चांडिल बाँध से कुल 116 ग्राम प्रभावित है। जिसमें से कुल 43 ग्राम पूर्ण तथा 73 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित है। जिसके अन्तर्गत कुल 19115 परिवार प्रभावित है।
3.	क्या यह बात सही है कि विस्थापितों को बसाए गए गाँवों का सीमांकन नहीं हो पाया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि विस्थापितों को बंडा–पर्चा नहीं दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विस्थापितों के लिए बसाए गए गाँवों का सीमांकन करने तथा उन्हें बंडा– पर्चा एक समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	• चांडिल बाँध के विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु चिन्हित 22 पुनर्वास स्थलों में से 13 पुनर्वास स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाओं सहित विकसित कर दिया गया है। विकसित पुनर्वास स्थलों में 1358 विस्थापित परिवार आवासित है। शेष 9 पुनर्वास स्थलों का सीमांकन कार्य चल रहा है। • पुनरीक्षित पुनर्वास नीति–2012 की कंडिका–5.1 (क) में प्रावधान है कि, विस्थापित परिवार जिनका आवास भू–अर्जन अन्तर्गत है को 12.50 डिसमिल भू–खण्ड चयनित पुनर्वास स्थल में निःशुल्क आवंटित किया जायेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर आवास के लिए भू–खण्ड नहीं लेना चाहते हैं तो उसके एवज में जमीन का मूल्य रू० 2,00,000.00 (रूपये दो लाख) मात्र देय होगा। अन्तराल में इस भूमि की रजिस्ट्री आवंटितो के नाम से कर दी जायेगी

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 06/ज०स०वि०–10–ज० सू०–04/2022 – 1723 /राँची, दिनांक 23/03/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1391 वि०स० दिनांक 19.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना घाण्डिल/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।